कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः– 264 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 14 जुलाई, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ में मड़मानले–दोबांस मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.270 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0पी0सी0/06/66/2019/एफ0सी0/1096 दि0 28.09.2018 तथा प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 489/03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक– 07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन कर अनुपालन आख्या निम्नवत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्रम सं0	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 01 मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 02 मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.54 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम–धौलकाण्डा, पट्टी–बन्दा, सिविल खसरा नं0 102, 84 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (क) मान्य है। विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.54 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम–धौलकाण्डा, पट्टी–बन्दा, सिविल खसरा नं0 102, 84 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण करते हुये मिश्रीत प्लांटेशन किया जायेगा।
	(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	शर्त सं0 03 (ख) मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नॉटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईडलाईन पैरा 2.4 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (ग) मान्य है। उक्त प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित गैर वानिकी भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य:– (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 19.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पी0टी0 2) दिनांक 18.03.2003 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.270 है0 वनभूमि क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यादि कोई हो, जो अन्तिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 (क) मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 (ख) मान्य है (शपथपत्र संलग्न है)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यायवर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 05 मान्य है।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.22. This state Govt. will strictly Monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 06 मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (**http://parivesh.nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 07 मान्य है (धनराशि जमा की गयी है, चालान संलग्न है)।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 09 मान्य है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 10 मान्य है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 11 मान्य है।
12	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 12 मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 13 मान्य है।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 14 मान्य है।

15	परियोजना कार्य के निस्तारण के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 15 मान्य है।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 16 मान्य है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियाँ, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 17 मान्य है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एफसी दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 18 मान्य है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 19 मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्राकर मलवे का विस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूस से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र का स्थि एवं पुनर्जीवित काने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 20 मान्य है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 21 मान्य है।
22	अनुपालन रिपोट ई–पोर्टल (**http://parivesh.nic.in/**) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 22 मान्य है।

संलग्नः– यथोक्त 04 प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– 264 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0 वाई0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरणः– जनपद पिथौरागढ़ में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृत मड़मानले–दोबांस किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षे0– 2.27 है0

क्षतिपूरक वक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 4.54 है0

वक्षारोपण स्थल का नामः– ग्राम–धौलकाण्डा, पट्टी–बन्दा, तहसील–पिथौरागढ़।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्याः– 1100

प्रथम चरण

कम सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	147	है0	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान)	0.6	है0	887	है0	532.2
3	लेंटाना / काला बांसा / गाजर घास					
अ	लेंटाना काला बांसा / गाजर घास को जड़ से उखाड़ना	0.4	है0	6608.68	है0	2643.472
ब	लेंटाना काला बांसा / गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	है0	2202.5	है0	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	है0	11700	है0	11700
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र0मी0 प्रति हे0)	600	र0मी0	11.14	प्रति है0	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 90घन मी0 प्र0है0	90	घन मी0	478	प्रति घन मी0	43020
7	गढ्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	है0	11.14	है0	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	737	है0	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	है0	8.7	है0	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गडडे खोदना	1	है0	470	है0	470
	योग प्रथम चरण					**90601.672**

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गडडे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5
3	पौध ढुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गडड्े	3.13	गडड्े	3443
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	599	र मी0	1.05		628.95
6	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गडड्े	2.3	गडड्े	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	है0	0.32	है0	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7235	है0	7235
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000	र मी0	11.14	प्रति	11140
10	1– वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास–फूस एव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2– सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है0	225 •	है0	225
	3– वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में 2–3 बार फोटोग्रफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है0	700	है0	700
	योग द्वितीय चरण					**42783.45**

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कन्टूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र0मी0	11.14	प्रति र0	11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	7377.6
	योग तृतीय चरण					**30344.6**

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	4	संख्या	4500	प्रति	18000
	योग चतुर्थ चरण					**29827**

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग पंचम चरण					**11827**

षष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500	प्रति	22500
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	6916.5
	योग षष्टम चरण					**41243.5**

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	5	सख्या	4500	प्रति	22500
	योग सप्तम चरण					**34327**

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग अष्टम चरण					**22201.75**

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग नवम् चरण					**22201.75**

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग दशम चरण					**11827**
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)					**337184.00**

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 **337184 रु0**

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल **4.54 है0**

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 4.54 है0 X 337184 = **1530815.36**

या 1530815

J.E.

A.E

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत मड़मानले दोबांस मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग का निर्माण नामक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/35451/2018** हेतु चयनित सी0ए0 स्थल ग्राम धौलकाण्डा, पट्टी बन्दा तहसील पिथौरागढ़ में पूर्व में किसी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

वन [illegible]
पिथौरागढ़

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथोरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत मड़मानले–दोबांस मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.27 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धौलकाण्डा, पट्टी बन्दा तहसील पिथौरागढ़ के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–102 श्रेणी–10(4)ड़ बंजर नाकाबिल आबाद के खेत नं0 8523 मध्ये रकवा 4.54 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1364/सात–10/2020–21 दिनांक 19.04.2021 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800 (II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

गैर जमींदारी विनाश खतौनी उद्धरण

ग्राम - धौलकाण्डा पट्टी - मल्ला तहसील - पिथौरागढ़ जिला - पिथौरागढ़

श्रेणी - 10(4) - अन्य कारणों से अकृषित बंजर भूमि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा है॰	लगान	विवरण
102	बंजर नाकाबिल आबाद	1374 फसली	1	0.434		भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी/यू.के.पी./06/68/2019/एफ.सी./1136 दिनांक 28-8-2020 तथा शासन अनुभाग 2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217-3/xviii(2)/2012-16(1)/2016 दिनांक 17-12-2012 में में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन धौलाध मोटरमार्ग से धौलकाण्डा मोटरमार्ग की लम्बाई 2.2 हैक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धौलकाण्डा पट्टी मल्ला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 102 श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के खेत नम्बर 6523 जिसकी रकबा 4.4 हैक्टेयर सिविल वन भूमि वन विभाग के नाम [illegible] अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
			3	0.009		
			111	0.004		
			148	0.020		
			150	0.029		
			152	0.060		
			154	0.070		
			172	0.686		
			206	0.003		
			209	0.023		
			221	0.006		
			232	0.011		
			253	0.006		
			261	0.031		
			293	0.006		
			300	0.014		
			342	0.051		
			365	0.004		
			6523	12.585		
			— लगायत —			
			1106/1143	0.185		
		कुल	715	61.3273		

महोदय, तैयार किया।

(हस्ताक्षर) 5/3/2022

प्रवीन कुमार
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी ...
तहसील पिथौरागढ़
जिला - पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/68/2019/एफ.सी./1096 दिनांक 28.08.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दोबास मोटर मार्ग से धौलकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7 है0 वन भूमि के बदले 4.54 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दोबास मोटर मार्ग से धौलकाण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 2.7 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धौलकांडा पट्टी बन्दा तहसील पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–102 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 8523 मध्ये रकवा 4.54 है0, सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अप्रैल 19 , 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1364 /सात– 10 /2020–21 दिनांक अप्रैल 19 ,2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तहसीलदार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड, लो.नि.वि. पिपिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

::वचनबद्धता प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दौबांस किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ पर सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी।

J.E

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

::वचनबद्धता प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दौबांस किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ पर सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जायेगी।

J.E

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

::वचनबद्धता प्रमाण पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दौबांस किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करे दी जायेगी।

J.E.

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुमाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 28/08/2020

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/68/2019/एफ0सी0/1096

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मड़मानले दोबांस के कि0मी0 10.00 से धौलाकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.27 हे0 (पूर्व में 6.23 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–454/x-4-19/1(42)/2019 दिनांक 21.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/35451/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 29, जनवरी 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार– जनपद – पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मड़मानले दोबांस के कि0मी0 10.00 से धौलाकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.27 हे0 (पूर्व में 6.23 हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक और वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः [redacted]

क) [redacted]

ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। [redacted]

ग) [redacted] guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.27 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
20. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
21. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
22. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-11-2020

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6135451006
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	I.D. PWD PMGSY PithoragarhPithoragarh
Amount(in Rs)	3022205/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-11-2020

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6135451006
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/68/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	I.D. PWD PMGSY Pithoragarh Pithoragarh
Amount(in Rs)	3022205/-

Amount in Words :Thirty Lakh Twenty-Two Thousand Two Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ वन प्रभाग,पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964-225234

पत्रांक 9[illegible] /[illegible] दिनांक, पिथौरागढ [illegible] सितम्बर, 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पी०एम०जी०एस०वाई० पिथौरागढ।

विषयः— पी०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ मे गढमानले दोबांस के कि०मी० 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग हेतु डिमाण्ड नोट निर्गत करने के सम्बन्ध मे।

संदर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू०सी०पी०/06/68/2019/एफ सी/1096 दिनांक 28.08.2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 557/03 पी०एम०जी०एस०वाई० दिनांक 02.09.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम मे अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 4 के क्रम मे उक्त परियोजना मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	2.27 है0	6,57,000/- (ईको क्लास- V) घनत्व 0.2	14,91,390/-
2	क्षतिपूरक	4.54 है0	3,37,184/-	15,30,815/-
			योग	30,22,205/-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

तहसील - पिथौरागढ़।

विषय→ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि अर्जित करने के संबंध में -

महोदय,

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण करने हेतु भूमि चयन कर प्रस्ताव तैयार किया गए उक्त भूमि ग्राम - धौलकांडा के गैर जमींदारी विनास खतौनी के खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 23 रकबा 0.005 है० श्रेणी 9(3) ड. बंजर ना. काबिल आबाद प्रस्तावि खसरा संख्या 8523 रकबा 12.585 हेक्टेयर प्रस्तावित रकबा 4.540 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का प्रस्ताव तैयार कर किया जा रहा।

1- प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार का आम रास्ता नहीं है।

2- प्रस्तावित भूमि में मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान नहीं है।

3- प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार के पेड़ आदि नहीं है।

अतः प्रस्तावित भूमि का खसरा खतौनी तैयार कर संलग्न सहित सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न

1. खाता खतौनी

2. खसरा 1 किता

(signature) 3/2/2021

(प्रवीन कुमार)

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र- कन्द्रा

तहसील- पिथौरागढ़

जिला-पिथौरागढ़

खसरा प्रारुप

ग्राम- धौलकाण्डा पट्टी- वन्दा तहसील- पिथौरागढ़ जिला–पिथौरागढ

प्राथी- .... पुत्र/पत्नी .... निवासी ....

पट्टी- .... तहसील- .... जिला–पिथौरागढ

विषय- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी क्षिमित सोयम भूमि अर्जित करने के सं

खसरा नम्बर	रकवा हैक्टेयर	खाता नम्बर	खातेदार का नाम पिता का नाम	प्रस्तावित खसरा न.	प्रस्तावित रकवा है.	विवरण
8523	12.585	102	बंजर ना. का.	8523म	4.540है0	–
			आबाद			
	12.585	–	योग	01	4.540है0	

महोदय ... 3/2/2021

(प्रवीन कुमार)

राजस्व उपनिरिक्षक

क्षेत्र- वन्दा

तहसील- पिथौरागढ़

जिला-पिथौरागढ

जैं० ज. वि खतौनी उद्धरण

ग्राम– धौलखन्डा ....रा० उप निरीक्षक– बन्दा ....तहसील व जिला–पिथौरागढ़,
श्रेणी– 10(4) - अन्य कारणों से अकृषित बंजर भूमि

खा० संख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	लगान	विवरण
102	वं. ना. का०	1374 फसली	1	0.434	—	
			3	0.009		
			111	0.004		
			148	0.020		
			150	0.029		
			152	0.160		
			154	0.070		
			172	0.686		
			208	0.003		
			209	0.023		
			221	0.006		
			232	0.011		
			253	0.006		
			262	0.031		
			293	0.006		
			300	0.017		
			302	0.051		
			305	0.004		
			320	0.015		
			343	0.019		
			8523	12.585		
			— लगायत —			
			11106 / 11143	0.125		
		कुल	315	63.327		
	—	—	—	—	—	—

महोदय खतौनी उद्धरण सत्यापित की–

(प्रवीन कुमार) 03/12

राजस्व उपनिरिक्षक

क्षेत्र- बन्दा

तहसील- पिथौरागढ़

जिला-पिथौरागढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं0 05964-226685 ई-मेल:- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 489 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 07-07-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में मड़मानले-दोबांस मो0मा0 के किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.270 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़, देहरादून का पत्रांक 08B / UCP / 06 / 66 / 2019 / FC / 1096 दि0 28-08-2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 345 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 24-05-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके कम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का संशोधित प्राक्कलन वन क्षेत्राधिकारी, पिथौरागढ़ से सत्यापन कराकर (05) पॉच प्रतियों में पुनः प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्न :- संशोधित प्राक्कलन 05 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ
प्राप्ति संख्या 653
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 14/7/22

सामान्य
क्ष·स्था·का·करें
प्र·व·अ·

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाई० पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 345 / 03 पी०एम०जी०एस०वाई० दि0 24–05–2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में मड़मानले–दोबांस मो0मा0 के किमी0 10.00 से धौलकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.270 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25 सुमाष रोड़, देहरादून का पत्रांक 08B / UCP / 06 / 66 / 2019 / FC / 1096 दि0 28–08–2020 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नप्रकार है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 01 मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 02 मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :–	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.54 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम–धौलकाण्डा, पट्टी–बन्दा, सिविल खसरा नं0 102, 84 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (क) मान्य है।
	(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (ख) मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नॉटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईडलाईन पैरा 2.4 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (ग) मान्य है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त 03 (घ) मान्य है (प्रमाण पत्र संलग्न है)।

कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी
पत्रावली सं0 1220/12-1
दिनांक 24/05/2022
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

क्रमशः – 2 – पर

क्र0सं0	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
4	शुद्व वर्तमान मूल्य : – (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 19.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(Pt.2)दि0 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दि0 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.270 हे0 वनभूमि क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 (क) मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 (ख) मान्य है (शपथपत्र संलग्न है)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 पेडों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 05 मान्य है।
6	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. This state Govt. will strictly Monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 06 मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 07 मान्य है (धनराशि जमा की गयी है, चालान संलग्न है)।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
9	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 09 मान्य है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 10 मान्य है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 11 मान्य है।
12	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 12 मान्य है।
13	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 13 मान्य है।
14	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 16 मान्य है।

क्रमशः – 3 – प

क्र०सं०	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
15	परियोजना कार्य के निस्तारण के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 17 मान्य है।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 19 मान्य है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 20 मान्य है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एफसी दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 21 मान्य है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 22 मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का विस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 20 मान्य है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लंना रज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 21 मान्य है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई– पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 22 मान्य है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।